

**बिहार सरकार**  
**लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग**

**सूचना**

तत्कालीन नोडल विभाग (जल संसाधन विभाग) के पत्रांक 1181 दिनांक-05.03.12 द्वारा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के लिए संविदा पर नियोजन हेतु अनुशंसित एवं प्रथम पुनर्नियोजित (जिनकी संविदा अवधि जनवरी 2015 में समाप्त हो गयी) के निम्नलिखित 3 वैसे कनीय अभियंता (यांत्रिक) जिनका कार्यकलाप अच्छा रहा हो एवं जिनके विरुद्ध कोई शिकायत अथवा आरोप दर्ज नहीं हैं को मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक-26.05.15 को दी गयी स्वीकृति तदनुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक-107 दिनांक-15.06.15 के आलोक में रु0 20,000/- (बीस हजार) प्रतिमाह पारिश्रमिक के दर पर एक वर्ष के लिए द्वितीय पुनर्नियोजन किया जाना है। इसके लिए इच्छुक कनीय अभियंताओं को असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी (सिविल सर्जन) से स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र के अलावे हाल का दो पासपोर्ट साइज फोटो के साथ सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 (पंद्रह) दिनों तक विहित प्रपत्र में सरकार के साथ एकरारनामा सम्पादित करना होगा:-

**द्वितीय पुनर्नियोजन हेतु प्रस्तावित कनीय अभियंता (यांत्रिक) की सूची:-**

| क्र० | योग्यता क्रमांक | कनीय अभियंता (यांत्रिक) का नाम | जन्म तिथि  | पिता का नाम            | स्थायी पता   | पत्राचार का पता  | आरक्षण कोटि |
|------|-----------------|--------------------------------|------------|------------------------|--|--|-------------|
| 1    | 2               | 3                              | 4          | 5                      | 6  | 7  | 8           |
| 1    | 1201            | श्री कुमार गौरव                | 14.02.1990 | स्व० विकास चन्द्र सिंह | कुमार गौरव,<br>प्रकाश चन्द्र सिंह,<br>ग्राम+पो०- अथरी,<br>थाना-रून्नी सैदपुर,<br>जिला- सीतामढी<br>बिहार-843311 | कुमार गौरव,<br>प्रकाश चन्द्र सिंह,<br>ग्राम+पो०- अथरी,<br>थाना-रून्नी सैदपुर,<br>जिला- सीतामढी<br>बिहार-843311 | सामान्य     |
| 2    | 512             | अनुप्रीति                      | 18.02.1987 | श्री हीरालाल सिंह      | ग्रा०- रसीदपुर<br>पो०- खानपुरमाल<br>थाना- बाथ<br>जिला- भागलपुर<br>बिहार- 813212                                | ग्रा०- रसीदपुर<br>पो०- खानपुरमाल<br>थाना- बाथ<br>जिला- भागलपुर<br>बिहार- 813212                                | पि०व०म०     |
| 3    | 446             | लखेन्द कुमार                   | 02.02.1988 | श्री रामवृक्ष राम      | ग्रा०- छपरा मनोरथ<br>पो०-<br>थाना-<br>भार्या-<br>मुजफ्फरपुर<br>बिहार-848108                                    | ग्रा०- शाहवाजपुर<br>पो०- भिखनपुर<br>थाना- अहियापुर<br>जिला- मुजफ्फरपुर<br>बिहार- 842004                        | अनु०<br>जा० |

अतः उक्त को सूचित किया जाता है कि असैनिक शब्द वोकैल्सा पदाधिकारी (सिविल सर्जन) से प्राप्त स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र के अलावे हाल का दो पासपोर्ट साइज फोटो के साथ उक्त निर्धारित तिथि तक सरकार के साथ संलग्न विहित प्रपत्र में एकरासनामा सम्पादित करें अन्यथा उनका द्वितीय पुनर्नियोजन नहीं किया जायेगा।

अनुलग्नक-- यथोक्त।

(शिवनन्दन चौधरी)

सरकार के अवर सचिव

E-Mail

ज्ञापांक-2/नि0 1-101/12 - 116 दिनांक- 23/06/15

प्रतिलिपि-- सभी अधीक्षण यांत्रिक अभियंता/सभी कार्यपालक यांत्रिक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि उक्त में से अपने अधीनस्थ कनीय अभियंताओं का कार्यकलाप/शिकायत एवं आरोप की स्थिति से अधोहस्ताक्षरी को शीघ्र अवगत कराया जाय ताकि द्वितीय पुनर्नियोजन पर विचार किया जा सके।

(शिवनन्दन चौधरी)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-2/नि0 1-101/12 - 116 दिनांक- 23/06/15

प्रतिलिपि- विभागीय आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर शीघ्र डालने हेतु प्रेषित।

(शिवनन्दन चौधरी)

सरकार के अवर सचिव

परिशिष्ट-1

संविदा के आधार पर नियोजन हेतु एकरारनामा

यह एकरारनामा ..... विभाग, बिहार सरकार, पटना एवं  
चयनित/नियोजित होने वाले श्री ..... के बीच निम्नलिखित शर्तों के  
साथ की जा रही है :-

1. यह नियोजन केवल ..... (पद का नाम) के लिए किया जायेगा।
2. यह नियोजन संविदा के आधार पर केवल 6 माह के लिए किया जायेगा परन्तु परिस्थिति में इसकी अवधि अगले 6 माह तक बढ़ायी जा सकेगी।
3. संविदा के आधार पर नियोजित श्री ..... को ..... रु० प्रतिमाह ..... पारिश्रमिक के रूप में देय होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई राशि या भत्ता देय नहीं होगा।
4. इस तरह के नियोजित व्यक्ति को इस नियोजन के आधार पर सरकारी सेवा का इन्हीं कर्तव्य अन्य सुविधा अनुमान्य नहीं होगी।
5. इस आधार पर भविष्य में नियमित नियुक्ति हेतु अथवा अन्यथा कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा।
6. संविदा पर नियोजित व्यक्ति की सेवा स्थानान्तरणीय नहीं होगी।
7. संविदा पर नियोजन के उपरान्त नियोजित स्थान हेतु अपने इच्छानुसार आवेदन दे सकते हैं परन्तु किसी भी स्थान पर नियोजन का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।
8. नियोजन के पूर्व नियमानुसार स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
9. इस प्रकार का नियोजन संविदा अवधि (कंटेक्ट पीरियड) समाप्ति के पूर्व उन्नीस (19) दिनों पूर्व सूचना देकर या एक माह की संविदा राशि एकमुश्त देकर समाप्त की जा सकेगी।
10. संविदा पर नियोजन के पश्चात् दोनों पक्षों को एकरारनामा की उपरोक्त शर्तें मान्य होंगी। नियोजित व्यक्ति उपरोक्त एकरारनामा के किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर एकरारनामा स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

..... विभाग, बिहार, पटना।

नियोजित व्यक्ति